न्यायालय विशेष न्यायाधीश अनु.जाति और अनु. जनजाति (अत्याचार निवारण)अधिनियम,झांसी।

सत्र वाद सं- १४२०/ २०२३

राज्य **बनाम** रोशन खान उर्फ कल्लू आदि

दिनांक २५. १. २०२४

१. पत्रावली पेश हुयी। पत्रावली आज प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा २२७ जा. फौ. के निस्तारण हेतु नियत है। अभियुक्त मुकेश वर्मा की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र २६बी एवं अभियुक्त रौशन खान उर्फ कल्लू की ओर से प्रार्थनापत्र २८बी अन्तर्गत धारा २२७ जा. फौ. पर सुना गया। उक्त दोनो प्रार्थनापत्रो का निस्तारण एक साथ किया जा रहा है।

२. अभियुक्त मुकेश वर्मा द्वारा प्रार्थनापत्र २६बी प्रस्तुत कर कथन किया गया कि तथाकथित एफ. आइ. आर अपराध संख्या ३०९/ २३ दिनांक ११. ८. २३ को धारा ४५२, ३८४, ३५४, ५०६ भा. द. सं मे दर्ज करायी गयी है। कथित एफ. आइ. आर मे कथित अपराध की किसी भी तारीख का उल्लेख नही किया गया और न ही बयान वादिया धारा १६१जा. फौ. नैना पाखरे द्वारा तथाकथित किसी भी घटना की कोई तारीख समय का उल्लेख नही किया गया। इस प्रकार अभियुक्त मुकेश वर्मा के विरूद्ध तथाकथित कोई आरोप गठित नही होते है। वादिया द्वारा कथित एफ. आइ. आर धारा १६१जा. फौ. के बयान मे एक लाख रूपये की मांग करते समय कोई स्वतंत्र साक्षी मौजूद होना नही बताया एवं कोई नशीला पेय पिलाने के बावत कथन नही किा है। इस प्रकार अभियुक्त मुकेश वर्मा के विरूद्ध धारा ३२८ भा. द. सं का अपराध भी नही बनता है। वादिया द्वारा डाक्टर साहब को दिए गए कथित बयानो मे भी कथित दुष्कर्म करने की कोई तिथि का उल्लेख नही किया है। तथाकथित वादिया के आन्तरिक डाक्टरी परीक्षण के अनुसार अभियुक्त के विरूद्ध धारा ३७६डी भा. द. सं का अपराध भी गठित नही होता है। कथित एफ. आइ. आर मे उसके साथ कथित सामूहिक दुष्कर्म होने का उल्लेख नही किया गया है। कथित प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं कथित बयान वादिया १६१ व १६४ द. प्र. सं एवं महिला चिकित्सक के समक्ष किए गए कथन तथा धारा १५६(३)जा.फौ. के प्रार्थना के तथ्यो मे अत्यधिक विरोधाभास है। धारा१५६(३)जा.फौ. की प्रमाणित प्रति की छायाप्रति प्रार्थनापत्र के साथ संलग्न है। उक्त तथ्यो के आधार पर अभियुक्त मुकेश वर्मा के विरूद्ध कोई अपराध नही बनता हैं। उक्त आधार पर अभियुक्त को धारा ३७६डी,४५२,३८४,३२८,३५४,५०६ भा.द.सं के आरोप से उन्मोचित किए जाने की याचना की गयी है।

३. अभियुक्त रोशन खान उर्फ कल्लू द्वारा प्रार्थनापत्र २८बी प्रस्तुत कर कथन किया गया कि अभियोजन पक्ष की कहानी मे वादिया ने घटना की तारीख व समय अंकित नही किया है। वादिया पहले से ही मुकेश वर्मा को जानती थी। वादिया ने दस हजार रूपये महीने की अवैध मांग करने की बात अंकित की है लेकिन यह स्पष्ट नही किया कि किस व्यक्ति के समक्ष अभियुक्त ने वादिया से अवैध रूपये की मांग की है। घटना का कोई स्वतंत्र साक्षी न होने की वजह से उक्त घटना झूठी प्रतीत होती है। अभियुक्त ने वादिया के साथ कोई भी बल का प्रयोग नही किया न ही ऐसी कोई घटना कारित की है। वादिया ने अभियुक्त को उक्त प्रकरण मे झूठा व रंजिशन फंसाया है। वादिया अवैध कारोबारो मे लिप्त है,अभियुक्त जूनियर पत्रकार है जिससे वह उसका विरोध करता था जिससे क्रोधित होकर मुकदमा वादिया ने अभियुक्त के विरूद्ध झूठा मुकदमा पंजीकृत कराया है। यदि किसी महिला के साथ दो व्यक्ति जबरन बल का प्रयोग करे

Digitally signed by SHAKTI PUTRA TOMAR
Date: 2024.01.25 16:51:50 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

तो उसके शरीर पर कई जगह चोटो के निशान आना सम्भव है लेकिन वादिया के शरीर पर कहीं पर भी चोटो के निशान नही पाये गये। वादिया के बयानो मे विरोधाभास है। अभियुक्त ने ऐसी कोई घटना कारित नही की है। वादिया ने सरकारी लाभ पाने के लिए अभियुक्त को झूठा व रंजिशन फंसाया है। उक्त मुकदमे से अभियुक्त का कोई मतलब व सरोकार नही है। वादिया ने अभियुक्त को झूठा नामजद कराया है। उक्त आधार पर अभियुक्त को लगाये गये आरोप से उन्मोचित किए जाने की याचना की गयी है।

४. अभियोजन की ओर से मौखिक आपत्ति करते हुए कहा गया कि अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप हेतु पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध है। अतः आरोप विरचित किया जाये।

५. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया व पत्रावली का अवलोकन किया।

६. पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि आरोपपत्र पत्रावली पर मौजूद है। अभियुक्त मुकेश वर्मा पत्रकार प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद अभियुक्त है। पीडिता ने अपने बयान धारा **१६१ द.प्र.सं** में कथन किया है कि रोशन उर्फ कल्लू ने मुझे जातिसूचक शब्दो का प्रयोग करते हुए अपने साथी पत्रकार मुकेश वर्मा के साथ मिलकर मेरे घर मे घुसकर सटटा खिलाने को कहा और सटटा खिलाने के बाद दस हजार रूपये महीने की मांग की गयी। मेरे द्वारा मना करने पर छेडछाड करते हुए दोनो लोगो ने मेरे साथ बारी बारी से बलात्कार किया और मुकदमा लिखाने पर जान से मारने की धमकी देते हुए चले गए थे। पीडिता ने धारा **१६४ द.प्र.सं** में कथन किया है कि मुकेश ने मेरे कपडे फाड दिए और मेरे साथ दुष्कर्म किया। रोशन ने जातिसूचक गाली देते हुए मेरे साथ दुष्कर्म किया। मुकेश व रोशन दोनो ने मेरे साथ बारी बारी से शारीरिक संबंध बनाये और दो अज्ञात व्यक्तियो ने भी उनका साथ दिया और सभी लोग मुझे जान से मारने की धमकी देकर चले गए। प्रथमदृष्टया पीडिता के कथनों को बल मिलता प्रतीत होता है,पत्रावली में अभी साक्ष्य होना शेष है। आरोप के स्तर पर न्यायालय को केवल यह देखना है कि क्या अभियुक्त के विरूद्ध विचारण हेतु प्रथमदृष्टया पर्याप्त आधार उपलब्ध है,न कि यह कि दोषसिद्ध हेतु पर्याप्त साक्ष्य। **(महाराष्ट्र राज्य बनाम प्रियशरण महाराज १९९७ क्रि.एल.जे. २२४८ एस.सी)** अतः ऐसी स्थिति में अभियुक्त के विरूद्ध इस स्तर पर आरोप विरचित किए जाने के लिए प्रथमदृष्टया पर्याप्त साक्ष्य पत्रावली मे उपलब्ध है। अभियुक्त के द्वारा जो आपत्ति उठायी गयी है वह भी इस स्तर पर देखे जाने योग्य नही है। प्रार्थनापत्र निरस्त किए जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्त **मुकेश वर्मा** की ओर से प्रस्तुत **प्रार्थनापत्र २६बी** एवं अभियुक्त **रौशन खान उर्फ कल्लू** की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र **२८बी** अन्तर्गत धारा २२७ जा. फौ. निरस्त किये जाते है। पत्रावली वास्ते आरोप हेतु दिनांक ०६.२.२४ को पेश हो। नियत तिथि को अभियुक्तगण व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हो। कोई भी स्थगन प्रार्थनापत्र स्वीकार नही किया जायेगा।

(शक्ति पुत्र तौमर)
विशेष न्यायाधीश एस.सी.एस.टी एक्ट
झांसी।

-